

जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125730 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर, नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में दिनांक 06/02/2026 को प्रातः 10:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक "01/01/2026" को प्रकाशित करवाई गई थी, जिनकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर (राज.)

है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स जे.एम. एनवायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स जे.एम. एनवायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में खनिज- चूना-पत्थर खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका ब्लॉक नंबर- PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125730 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन परियोजना है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

एडीएम महोदय ने कहा कि गांव सरासनी में PSB-11 4.8044 हैक्टेयर की माईनिंग लीज है, आप लोगों को इसका पूरा प्लान बताया गया है। सरासनी गांव एवं आसपास से भी काफी लोग हैं। अनुरोध है कि सरासनी गांव के लोग अपनी बात पहले रखें, बाकि लोग भी बोलना चाहे तो उन्हें भी मौका दिया जायेगा। यह जन सुनवाई पर्यावरण स्वीकृति के लिए है, ना कि भूमि की कीमत के लिए, फिर भी


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि भूमि की कीमत पर बात आप भले करे, परन्तु उसका वेटेज कम रखें। विकास के साथ-साथ पर्यावरण को कैसे बचाये रख सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान करें।

सर्वप्रथम श्री परमेश्वर चौधरी, ग्राम पंचायत सरासनी ने कहा कि एडीएम महोदय को अवगत करवाना चाहूंगा कि पूर्व में हमारे ग्राम पंचायत में जेएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा यहां सुनवाई रखी गई थी, जिसमें किसानों के साथ कुठाराघात हुआ है, जिसके आप चश्मदीद गवाह भी है तथा यह मामला आपके संज्ञान में भी है। मैं ग्राम पंचायत सरासनी की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी यहां आवेदन करें, किसानों के साथ जो वार्ता हो उसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता बरती जाए। हमारे गांव के सर्वांगीण विकास हेतु मैं कुछ मुद्दे आपके समक्ष पेश करने चाहता हूं—

हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारी कंपनियां आई, कुछ आवेदन कर चुकी है तथा कुछ सुनवाई भी कर चुकी है, इसलिए हमारे गांव को चारों तरफ से डामरीकृत किया जाये, जिसमें मुख्य सड़क खेतोलाव-डेह-सरासनी होते हुए, दूसरी मुख्य सड़क डेह से जायल की तरफ जाती है, वह सड़क पिछले कुछ समय से टूट चुकी है, मरम्मत नहीं हो पाई है। सरासनी फांटा से अवाद की रोड़, कच्ची सड़क है, उसको भी डामरीकृत करने का निवेदन करता हूं।

खनन क्षेत्र में खेजड़ी वृक्ष काटे जाएंगे, जबकि हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है। ग्राम सरासनी की तरफ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खेजड़ी के स्थान पर चार गुना खेजड़ी का वृक्ष ही लगाया जाये। भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत के क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भू भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन हमारा भौगोलिक सर्वेक्षण यह बताता है, कि हम 7 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं और पिछले कुछ समय में पर्यावरण प्रेमियों द्वारा इसके प्रति जागरूकता लाने से अब हम मात्र 8 से 9 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। अतः बड़ी कंपनियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर में वृक्षारोपण की मैं मांग करता हूं।

गांव में खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः गांव में जमीन खरीद कर खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि वर्तमान युग में शिक्षा के साथ-साथ खेल में भी प्राथमिकता होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर अपने जीवन में दसवीं पास नहीं कर सके, लेकिन खेल से भारत


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर-
नागौर (राज.)

में अपना सर्वोच्च नाम किया है, इसलिए खेलो की भी वर्तमान में बहुत उपयोगिता है। इसी के साथ जिस विद्यालय में यह जनसुनवाई हो रही है, उक्त विद्यालय वर्तमान में हाई सेकेंडरी के रूप में संचालित है यहां शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, तो स्टाफ भी पर्याप्त हैं, लेकिन मेरी मांग है कि बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु अच्छी योजनाओं को क्रियान्वित की जाए। स्थानीय युवाओं को रोजगार के नियमित अवसर प्रदान किए जाएं, पूर्व में भी जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियों ने हमारे साथ यह वादा किया कि स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाएं जाएंगे, जिनकी जमीन नीलाम होगी उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएंगे एवं पंचायत के लोगों की प्राथमिकता रहेगी, लेकिन किसी को भी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं दिया गया कंपनी ने हमारे साथ यह सबसे बड़ा कुठाराघात किया।

हमारे गांव में कुछ परिवार भूमिहीन हैं, जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है, ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वह सरकारी भूमि पर कच्चा अथवा अस्थायी घर बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जमीन खरीद कर, उसमें प्लोटिंग करके प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। जो व्यक्ति भूमिहीन है, उसके लिए अन्यत्र प्रवास करके मकान बनाना वर्तमान युग में असंभव है। ग्राम पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है, महिला नर्स कार्यरत हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु मशीनों का अभाव है तथा अन्य कार्मिकों की भी आवश्यकता है। ग्राम पंचायत की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर पर है एवं कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी किया जाता है, पशुओं का समय पर टीकाकरण एवं विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारियों के समाधान हेतु गांव में पशु चिकित्सालय अत्यावश्यक है।

सीएसआर एवं सीईआर का पूरा फंड ग्राम पंचायत में निवेश किया जाना चाहिए। पूर्व में जेएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हमारे साथ बैठक में यह स्वीकार किया था कि सीएसआर एवं सीईआर का पूरा फंड आपकी पंचायत में लगाएंगे, पंचायत के कुछ ही लोगों को इस योजना का एवं इससे सम्बन्धित कार्यों का फायदा हुआ। अतः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूर्ण फंड पंचायत में लगाया जाए तथा आमजन को इसका लाभ मिले। इसी के साथ कुछ गरीब परिवारों में वर्षा जल संग्रहण हेतु टांके की कमी है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा लगभग 20 प्रतिशत ही होती है, जल का भारी अभाव है एवं भूमिगत जल का स्तर


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

भी नीचे चला गया है, यदि हम भूमिगत जल को बाहर निकलते हैं तो उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, जिससे फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है एवं यदि उस जल को पीने के लिए काम में लिया जाए तो फ्लोराइड जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अतः ग्राम पंचायत सरासनी को वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण की विशेष योजनाएं चलाकर लाभान्वित किया जाये। ताकि वर्षा जल संग्रहण करके भविष्य में उस पानी का उपयोग पीने के लिए, पशुओं के लिए एवं घरेलू कार्यों के लिए सुनिश्चित कर सकें। पंचायत में कुछ घरों में अभी तक शौचालय नहीं बने हैं, जबकि सरकार द्वारा योजना के माध्यम से अनुदान राशि दी जा रही है, परंतु अभी भी कुछ परिवार शौचालय निर्माण की योजना से वंचित हैं। अतः ऐसे घरों में शौचालय निर्माण अनिवार्य रूप से अतिशीघ्र किया जाये। गांव के शमशान भूमि में अलग-अलग समाजों के शमशान हैं जिनमें अधिकांश में मौसमी स्थिति में दाह संस्कार हेतु छतरी निर्माण नहीं है। हिंदू धर्म में परम धर्म यह है कि दाह संस्कार जला कर किया जाता है। अतः निवेदन है कि जिन समाजों में दाह संस्कार का प्रचलन है उन सभी समाज के शमशान भूमि में छतरियों का निर्माण करवाये जाये। शमशान भूमि में खाली जमीन पर कंपनी द्वारा पौधारोपण किया जाए जिससे दाह संस्कार में शामिल होने वाले सैकड़ों व्यक्तियों को बैठने के लिए ठंडी छांव मिले। डीएमएफटी फंड का पैसा भी हमारी पंचायत में उपयोग हो। गांव की कुछ गलियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी इकट्ठा होकर मौसमी बीमारियां पैदा होने का संकट रहता है, हालांकि मुख्य मार्गों में सीवरेज डाली गई है तथा पानी की सुचारु रूप से व्यवस्था हो रही है लेकिन इनमें भी कुछ कमियां हैं जो आप संज्ञान में लेकर निराकरण करवाये। इन ब्लॉकों में चयनित खसरों में देखा गया है कि कुछ खसरों का आधा भूखंड इन ब्लॉक में आ रहा है एवं आधा भू-खंड छुट रहा है। मेरा यह निवेदन है कि यदि कंपनी आधा भूखंड खरीदती है, तो शेष आधा भूखंड जोतने योग्य नहीं रहेगा। अतः कंपनी प्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि आप जिस भी खसरों की खरीद करते हैं, उस खसरे की पूर्ण खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए। गांव में पानी की आपूर्ति हेतु टंकी का अभाव है, जिससे सभी घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है, पूरे गांव में जल आपूर्ति सुव्यवस्थित करने हेतु टंकी का निर्माण करवाया जाये। सरासनी गांव के पश्चिम दिशा में रामदेव जी की मंदिर से डामर रोड तक गौरव पथ का निर्माण किया जाये, जिससे यातायात सुनियोजित रहेगा। गौरव पथ के लिए हमारे द्वारा कुछ राजनेताओं के समक्ष मांग भी रखी गई थी, परंतु अभी तक गौरव पथ नहीं बना। गौरव पथ बनने से हमारे गांव के साथ-साथ


क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
 नागौर (राज.)


 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 नागौर (राज.)

आसपास के गांवों को भी सुव्यवस्थित परिवहन में सहायता उपलब्ध होगी। वर्तमान युग शिक्षा पर आधारित युग हैं, सीनियर तक स्टडी करने के लिए गांव में स्कूल है, परंतु उच्च अध्ययन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, अगर गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो तो बच्चे स्व अध्ययन करके अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। गांव में प्रति 10 बीघा पर एक टांका स्वीकृत होने से हम ग्रामवासी वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। राजस्थान की विषम परिस्थितियां, उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं जल की कमी के कारण मात्र दो तीन प्रतिशत जल ही पूर्ति योग्य है। अतः व्यवस्थित जीवन यापन हेतु अधिक से अधिक वर्षा जल संग्रहण आवश्यक है। हम वर्षा जल संग्रह हेतु छत के पानी को पाइपलाइन के माध्यम से निर्मित टांकों में संग्रहित कर रहे हैं। गांव में सोलर प्लांट लगाया जाये, जिससे गांव में बिजली की भी बचत हो सके एवं रात्रि में गांव रोशन हो सके। आप द्वारा अपना अमूल्य समय हमारी ग्राम पंचायत सरासनी को दिया इसके लिए मैं ग्राम पंचायत सरासनी की तरफ से हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

एडीएम महोदय ने कहा कि परमेश्वर जी आपका धन्यवाद! अपना ज्ञापन दे दें। अगर कोई और भी बोलना चाहे तो अपनी बात कहें।

श्री भंवरसिंह, ग्राम सरासनी ने कहा कि कंपनी जो भी विकास कार्य करें उसमें कोई भेदभाव ना करें। हमारी मांगे निम्नानुसार है -

- गौशाला संचालन हेतु,
- ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हाई सेंटरल हॉस्पिटल, अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए।
- शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था, पूर्ण सुविधा के साथ की जावें।
- ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लीटर क्षमता) का करवाया जाए।
- ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सी.सी. ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सिवरेज निर्माण सी.सी. रोड़ मोहल्ले वाईज करवाई जाए।


क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
 नागौर (राज.)


 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 नागौर (राज.)

- ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार, ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए।
- गांव के धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए।
- गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौन्दर्यकरण किया जाए।
- गांव में सोलर स्ट्रीट लाईट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आम गवाड़ में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए।
- ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए, दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए।
- ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबूल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए।
- ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए।

कैप्टन मेघाराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि जनसुनवाई में प्रदर्शित प्रतिलिपि ग्राम पंचायत में उपलब्ध होनी चाहिए, जिसे प्रत्येक आदमी पढ़ सके, एवं उसे पता चल सके कि कितना हेक्टर किस-किस स्थान से हैं एवं कंपनी की क्या पॉलिसी है? ग्रामीण लोग एवं किसान, उनकी जमीन बिकने से यह बेघर हो जाएंगे, तो उनके पुनर्वास की क्या योजना है? जब स्थानीय लोग खेती बेच देंगे, तो लोगों के पास रोजगार का क्या साधन रहेगा? एडीएम महोदय से अनुरोध है कि जब आपने कंपनी को किसानों को बिना बताएं, यहां लीज दे ही दी, तो किसानों को यहां बिठाने का क्या फायदा? आप जमीन पहले ही दे चुके हैं, तो अब कंपनी अपनी मनमर्जी करेगी कि रेट किसानों को यही मिलेगा। जमीन एक तरीके से आप बेच ही चुके हैं, फिर इन्हें यहां बिठाने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी अभी 11 लाख रुपए दे रही है जबकि आज से तीन से चार वर्ष पूर्व आठ लाख रुपए दे रही थी, उस समय सोना पचास हजार रुपए तोला था, आज सोना हो गया दो लाख रुपए तोला। तो फिर जमीन की रेट क्यों नहीं बढ़ी, जबकि सोने की रेट बढ़ रही है। किसानों को सोना चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, सोना तो बढ़ गया है, लेकिन जमीन की रेट वही रहनी है 10 लाख, ऐसे कैसे काम चलेगा? इन चीजों के बारे में जानकारी देने की पुनर्वास के लिए आप क्या कर रहे हैं?


क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
 नागौर (राज.)


 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 नागौर (राज.)

एडीएम महोदय ने कहा कि अब तक तीन लोगों ने कम से कम 65 से 70 बातें रखी हैं, कंपनी प्रतिनिधि अपनी बात रखें।

श्री प्रशांत रंगा, सीएसआर, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि विकास कार्यों हेतु ग्रामीणों द्वारा जो भी मांगी रखी गई है, पर्यावरणीय स्वीकृति आने के बाद जो बजट आता है, उसके अनुसार आपकी सभी मांगों की लिस्ट बनाकर के, उनका प्लान बनाकर उन्हें आपके गांवों में क्रियान्वित करेंगे।

श्री चेतन रावल, यूनिट हेड, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि सीएसआर एवं सीईआर आज के समय में अनिवार्य हो गया है एवं खासकर जनसुनवाई में जो भी होता है, वह नोट डाउन होता है तथा वह करना ही पड़ता है। रोजगार की बात करें तो कौशल के अनुसार रोजगार तथा जिनमें कौशल नहीं है, उनके लिए भी कौशल विकास के रूप में काम कर रहे हैं। जमीन के रेट की बात करें, तो अंबुजा सीमेंट का हमेशा यही रहा है कि काश्तकार से बात करके उसकी सहमति से ही लिया गया है। आज तक कोई जबरन नहीं किया गया। मूंडवा में भी देख सकते हैं कि सरकारी जमीन पर ही कार्य कर रहे थे एवं प्राइवेट लैंड पर अभी 2 साल से ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रिसॉल्व नहीं किया, तब तक हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। सरकारी नियम अनुसार एवं RIICO के भी अपने नियम है, उनके अनुसार ही कार्य किया है।

अन्त में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई से पूर्व, जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों व उपस्थित जन-समुह द्वारा लिखित में प्रस्तुत आक्षेप/सुझाव/आपत्ति परिशिष्ट "स" पर सलंग्न है।


श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर


श्री चंपालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

उपस्थिति पंजिका

चूना-पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125730 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर

दिनांक: **06.02.2026,**

समय: **प्रातः 10:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	अम्यालाल जांगल	ADM Nagaur	
2	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB Nagaur	
3	Chetan Rajal	Unit Head (Ambuja) Cements (Mandwa)	
4	JITENDRA KUMAWAT	HEAD MINES AMBUJA CEMENT	
5	Narsingh	TDR NGS	
6	Tushar P. Sahoo	Ambuja Cements Limited	
7	Hari Ram Saram	ILR Bhadana	
8	Ravindra	Patwari Harina	
9	Hemant Kumar	AEE, RSPCB RO Nagaur	
10	Rajveer Bhekar	J.A.	
11	Samanya Singh	J.M. EnvironNet Pvt Ltd.	
12	Harri Soni	J.M. EnvironNet Pvt. Ltd.	
13	Hansraj Nagaria	RSPCB	
14	K.S. Yadav	J.M. Environ.	
15	Shamdan Kumar	Mundwa	
16	Dhanraj KAWAT	Ambuja Cement Ltd	
17	Mayank Kumawat	Ambuja Cement	
18	Ankit Agorawal	Ambuja - Mandwa	
19	Shir Soni	land dept. - Mandwa	
20	Narsingh Rana	Land dept Mandwa	
21	RISHIRAJ SINGH RATHORE	20591	
22	RISHIRAJ SINGH RATHORE	AMBUJA CEMENTS LTD.	

उपस्थिति पंजिका



चूना-पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125730 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर

दिनांक: **06.02.2026,**

समय: **प्रातः 10:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
23.	Shalendra Singh	Sarasani	
24.	Dayabram	Sarasani	
25.	Shalendra Singh	11	Shalendra Singh
26.	Shaluda	Sarasani	Shaluda
27.	Ganpat	Sarasani	Ganpat
28.	Ram Chandra	Sarasani	
29.	Suresh	Sarasani	Suresh
30.	Datar Singh	Sarasani	Datar Singh
31.	दीपक	सरासनी	दीपक
32.	Harender	Pairi Jodha	Harender
33.	Shamsher Kuman	Mundna	Shamsher Kuman
34.	Meedina Kaurik	Sarasani	Meedina Kaurik
35.	अन्ना राम	सरासनी	अन्ना राम
36.	गणेशाराम	जागली	गणेशाराम
37.	वज्रवती	सरासनी	वज्रवती
38.	सुपुन राम	सरासनी	सुपुन राम
39.	सुपुन राम	सरासनी	सुपुन राम
40.	सुपुन राम	सरासनी	सुपुन राम
41.	करण भास्कर	सरासनी	करण
42.	शक्ति नाथ	सरासनी	शक्ति
43.	प्रकाश	सरासनी	प्रकाश
44.	राजेश	डेह	राजेश

उपस्थिति पंजिका

चूना-पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125730 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर

दिनांक: **06.02.2026,**

समय: **प्रातः 10:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
45	अडमान	डेडे	अडमान
46	PRAVESH KUMAR	Deh	Pravesh
47	शोभा राम	सरासनी	
48	शोभा राम	सरासनी	
49	सुभाष	सरासनी	सुभाष
50	मुला राम	सरासनी	
51	साधु	सरासनी	
52	मंजू	सरासनी	
53	छोटी	सरासनी	
54	रामचंद्र	सोमबट	रामचंद्र
55	शिवनाथ जोगीवाल	गुफ सायणा	शिवनाथ
56	मंजीवाल	सांमडा	मंजीवाल
57	अनवर सिंह	रुग्गावरवतीनाव	अनवर सिंह
58	राधेशंकर लाल	राधेशंकरलाल	राधेशंकरलाल
59	Mahaveer Singh	Inanar	Mahaveer
60	गणेश राम	सरासनी	गणेश
61	अनवर सिंह	सरासनी	अनवर सिंह
62	अनवर सिंह	सरासनी	अनवर सिंह
63	अनवर सिंह	सरासनी	अनवर सिंह
64	बाबू लाल	सरासनी	बाबू लाल
65	अनवर सिंह	सरासनी	अनवर सिंह
66	दुपडी	सरासनी	दुपडी

उपस्थिति पंजिका

चूना-पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125730 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर

दिनांक: **06.02.2026,**

समय: प्रातः 10:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
67	1. जरीबिराम	57/1011	
68	2. Mosikam		
69	3. Shiv Prasad Gora	munelwa	
70	4. मुन्नानाथ	हरीमा	
71	5. जयप्रमनाथ	सारासनी	
72	6. दामोदर प्रसाद साहू	पंडेरा	
73	7. शक्तिश्री ठाकुर	भदोला	
74	8. हरेन्द्र	खैरा	
75	9. Ramdal	Sarasani	
76	10. Shiv Nath	Sarasani	
77	11. Hem Ran Jyoti	Sarasani	
78	12. Moh Nath	Sarasani	
79	13. Suparnath	Harima.	
80	14. Manoram	Sarasani	
81	15. Kame Ram	Sarasani	
82	16. mon Dur Duddi	Dui	
83	17.		
84	18. भवानी सिंह	सारासनी	
85	19. मोजी राम	सारासनी	
86	20. येना सिंह	सारासनी	
87	21. डोमनराज	सारासनी	
88	22. Visen Singh	सारासनी	

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक / न्याय / ज.सु.2025 / 976

दिनांक: -06.02.2026

प्रेषित:-

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर।

विषय:- पर्यावरण जनसुनवाई दिनांक 06.02.2026 के दौरान प्राप्त सहमति/सुझाव/
आपत्तियां/अनापत्तियां/शिकायतों के संबंध में।

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि M/s Ambuja Cement Limited के ब्लॉक PSB11, PSB 12,
& HPB20 के पर्यावरण जनसुनवाई स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरासनी, तहसील नागौर
तिथि दिनांक 06.02.2026 हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय नागौर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को
अधिकृत किया गया।

उक्त तीनों ब्लॉकों की पर्यावरण जनसुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता को कुल 14
सहमति/सुझाव/ आपत्तियां/अनापत्तियां/शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो मूल ही इस पत्र के साथ
संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार तीनों ब्लॉकों की कुल 14 मूल सहमति/सुझाव/आपत्तियां/
अनापत्तियां/शिकायत-पत्र

06/2/26
(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

RO RSPCB

06/07/2026

10

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक
सेवा में,

दिनांक 6/2/26

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

कार्यालय
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओं का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स. नागौर

विद्यार्थक नामावली काट करीपाक

टाँका निर्माण

- ① गुलाम नाथ
- ② भाबू नाथ
- ③ कालू राम नाथ

- ① भाबू नाथ
- ② भाबू लाल नाथ
- ③ राजाशरु नाथ

इरीपा

डी.डी. ब्लॉक निर्माण 1150 वर्गमीटर

सीकरा जा लाइन 800मीटर काम चल रहा है

RSPCLB

06/02/2026

1

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

सेवा में,

दिनांक

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओं का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स. नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

पंचायत समिति - नागौर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

Mob. : 9828897555

क्रमांक

सेवा में,

दिनांक 6/2/25

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओं का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

सेवा में,

दिनांक

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओं का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगों पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं

सेवामें

Ro RSPCB
66/02/2026श्रीमान A.D.M. साहब व अंबुजा प्राणलिंग
के पदाधिकारी जण

विषय :- ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास हेतु।

मान्यवर जी,

साहब नम्र निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत सरासरी के निम्न लिखित विकास कार्य करवाने बावत

1. खेतोलाव से डेह तक डामरीकरण
2. खेजड़ी वृक्ष का उचित मुआवजा देने व खेजड़ी के बदले खेजड़ी का वृक्ष लगाना व पौधा रोपण के लिए चार गुणा वृक्ष लगाना।
3. खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का निर्माण करवाना।
4. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
5. टाणियों के में पेयजल की उचित व्यवस्था करना।
6. स्थानिय युवाओं को रोजगार के नियमित अवसर प्रदान किये जावें।
7. खेतों में निर्माण कार्य का उचित मुआवजा
8. गौशाला में निर्माण कार्य व टिनशेड का निर्माण करवाना।
9. भूमिहीन परिवारों के बसने के लिए प्लॉट व आवास निर्माण
10. देवासी व कालबेलियों के आवास व अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
11. ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्मिक व समुचित संसाधन उपलब्ध करवाना।
12. CSR व CSR का पूर्ण फंड ग्राम पंचायत में निवेश करना।
13. गरीब परिवारों के लिए टांका निर्माण व शौचालय का निर्माण करवाना।

Signatory

14. 2 मशान भूमि में छातरियों व पौधावोपण करवाना ।
15. सरासनी फांटा से रेवाड़ डामरीकरण करवाना ।
16. ~~DMFT~~ DMFT (जागांटा) ग्राम पंचायत
17. जल निवासी की उचित व्यवस्था
18. पूर्ण खस्रा लिया जाये SC+OBC+JEN.
19. जलापूर्ति हेतु टंकी निर्माण कार्य ।
20. सरासनी रामदेव जी के मन्दिर से सरासनी फांटा तक सड़क का पूर्ण निर्माण व चौड़ाई सुनिश्चित करावे ।
21. उच्च अध्ययन हेतु गाँव में पुस्तकालय का निर्माण करवाना)
22. 10 बीघा पर एक टांका स्वीकृत करके जल संग्रहीत है 50,000 लीटर तक ।
23. प्रत्येक घर पर सोलर लाइट ।

~~...~~
~~...~~
~~...~~
 जगदीशचंद्र
 भाऊनाथ
 सतानवाड़
 सुनील
 रामदेवसाल
 गणेश
 मंगलनाथ
 रमेश
 शंभुसिंह
 गणेश
 सुरेश

गणपत काला
 भवानीसिंह
 रामचंद्र
 हेमराम

गौडा-हीमाडन फंड

फाइल दिनांक 03-06-2024 को श्रीमान तटकीलाल
ताडव नागौर के आदेश क्रमांक 21/20-05-24 की
पालना हेतु मय मौतबिदान खसरा नंबर 1292/392
पर पहुँचा। मौते पर 66 F की जरीब व टक्करे की
उपस्थिति शीट की तुलना से हीमाडन फंड गना
तथा मूल टक्करे 392 के निशाना लगावाये जाये।
हीमाडन कार्रवाई टक्करे मौतबिदान खसरे घाटन के
फंड गना। हीमाडन रिपोर्ट पढकर दुर्गा जमी कौट
उपस्थित मौतबिदानों के अंगुण-दस्तावेज कटवने
जाये।

1. PL
2. मिलनकाता

पटेलनाथ
राजशाम

दुर्गाशाम
प. हीमा

सुरेश नाथ

Ro RSPCB
06/02/2026

श्रीमान कलकट आडव - नागौर


मय हरीमा की खसरा मूजी से

विषय - खसरा नं- 392 व 393 से खडक निर्माण हेतु


कं.रा.ख.नं- 390 मैयद्या खसरा नं- 392 व 393 से फी डबलुडी फी मय
मजी खडक निर्माण बंद किया गया है।

पटेलनाथ हरीमा

नकल वकशा देण विश्वर
 मोज - हरीना
 तळ - नागौर जिना नागौर
 ६२ १५२२५५ तळमीन



केसम फी ईन = २० १/२ ३१



जोट नकशे में शी/२ मिलान हो

२४/१०/१०

[Handwritten signature]

प्रमाणित प्रमाणित
 २४/१०/१०



Ro ASPCLB
06/02/2026

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच) (प्रशासक)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक:

दिनांक 6/2/2026

सेवा में

उपरिष्ठ जिला क्वेयर
नागौर (राज.)

विषय- अंबुजा सीमेंट विमल ग्राम उद्योगिता युवा प्लेन खदान के सदर् में
गाँव में सामाजिक विकास संकी सुधार

भधेदन,

- 1) गाँव पंचायत भदाणा में पांच लाख पीघारोपन व डामा रख-रखाव केन्सिंग, धी गार्ड आदि
- 2) प्लन संरक्षण के लिए गाँव में तालाबों का पुनर्निर्माण व तालाबों के फेंडे का रख-रखाव व तालाबों का शीर्षमय
- 3) गाँव में सार्वजनिक स्थल पर पार्क की व्यवस्था
- 4) विद्यालय में बच्चों के लिए इच्छा शिक्षा के लिए लैब कंप्यूटर व विज्ञान पुस्तकालय प्रायुक्ति इतरे में पुस्तक कर्षणर रख रखाव
- 5) युवाओं को रोजगार नयी शर्क के लिए रोजगार के अखणर फेंड को
- 6) खेल मैदान का निर्माण करें
- 7) उप खारण केन्द्र का निर्माण करें।
- 8) गाँव पंचायत गाँव भदाणा में शीर्षमय लारिन की व्यवस्था की जाये
- 9) किसानों को उचित सुधारण
- 10) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर वृद्धि के संदर्भ में कार्य करें

चन्दा
प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
पं.स. नागौर

सवाम,

Ro P-SPCB

06/05/2026

श्रीमान अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड,
भारवाड़-मूण्डवा, नागौर

विषय:- शमसान भूमि के चार दिवारी करने बाबत

महोदय

सविनय निवेदन है कि मेघवाल समाज, गोगवाना कि शमसान भूमि के चार दिवारी व पौधा लगवाने का कार्य व मेघवाल समाज के भवन का विस्तार करने बाबत आप से निवेदन है कि हमारे ग्रामवासी व समाज को आपसे अनुरोध है कि हमारा काम जल्दी करवाने के कष्ट करें। अतः हम सभी ग्रामवासी व समाज अंबुजा सीमेंट्स के आगारी रहेंगे

भवदीय

नाम- समस्त समाज व ग्रामवासी
पता VPO- गोगवाना

शमामलाल-9660513186

राजू

गठापत

वीरुष

चिमेनाराज

शमलाल
केलाश

रमेश

कवकराम

सुरराम

राकेश

सुरवराम

Ranj

पांचाराज

शंकरलाल

धरम

कुमाराम

अंबुवाराम

Ranj

अंबु देवराम

सेवामे,

RO RSPCB

06/07/2026

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड,
माखाड-भूखवा, नागौर

विषय - भेरुजी मन्दिर के चार दीवारी व पानी की टंकी बाबत

सादर निवेदन है कि हमारे गांव-गगवाना भेरुजी महाराज के मन्दिर के चार दीवारी व एक पानी टंकी और पशु चिकित्सालय में पानी का टांका बनवाने का कार्य करवाने कि कृपा करें यह सर्वोच्चार्थक कार्य करवाने का कष्ट करें।

अब आप कि कृपा होगी और गगवाना ग्रामवासी हमें सा आप का आभारी रहेगा।

भवदीय
समस्त ग्रामवासी
गगवाना

श्यामलाल

राम

पांचाराम

श्यामलाल

चिमनाराम

कुलेश गगवाना

शंकरलाल

रमेश

वीणाराम

Poney

अनाराम

अनाराम

अनाराम

RO RSPCB
06/02/2026

श्रीमान आरिस्तु जिला कलेक्टर महोदय

नागौर

दिनांक - 6/2/26

- श्रीमान जी ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास तीनों गांवों को कम्पनी के द्वारा गोंद लिया जावे ताकि गांवों का विकास हो सके!
- ग्राम पंचायत गगवाना को वर्ष 2020 में ODF (ओपन डेफिकेशन फ्री - खुले में शौच मुक्त) घोषित कर दिया गया था जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत-गगवाना की 80% आबादी खुले में शौच करती है अतः ग्राम-गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने के स्रोत तालाब हैं जो कम वर्षा होने के कारण कुछ माहों में पानी सूख जाता है जिसके कारण यहां के लोगों को मीठा पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है अतः ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर टांका (होद) का निर्माण करवाया जाये जिसका सम्पूर्ण खर्च को वह कम्पनी कर ले जावे।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के मूल निवासियों को कम्पनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये।
- पर्यावरण को बढावा देने के लिये ग्राम पंचायत के समस्त गांवों की सड़कों के दोनों ओर व तालाबों विद्यालयों व शौचर भूमि में अधिक से अधिक पौधारोपण मय सुरक्षा

की जाये। साथ इनका रख रखाव कमसे कम 2 वर्ष तक करे।

शिक्षा

- ग्राम पंचायत गगवाना के समस्त गांवों के समस्त विद्यालयों के विकास हेतु कमरों का निर्माण टेबल कुर्सी जिन विद्यालयों के चार दीवारी नहीं है उनके चार दीवारी निर्माण विद्यालयों में पानी- बिजली की समुचित व्यवस्था स्टाफ हेतु ओफिसियल कार्य हेतु टेबल कुर्सी अलमारी की व्यवस्था मिड डे मिल के लिए राशन स्टोर किचन रूलिंग व वर्क जैसी समस्त उपयोगी व्यवस्था। साथ ही कक्षा कमरों को डिजिब क्लॉस कम बनाये।
 - विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को भावटित खेल भूद के मैदानों को विकसित करवाना तथा खेल भूद मैदानों के चार दीवारी का निर्माण करवाना। स्कूल में टोइलेट का निर्माण करे।
- ### चिकित्सा

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-खेतोलोक की कुल आबादी 15000 से अधिक है जो मजदूरी पर निर्भर है प्राथमिक उपचार हेतु ग्रामवासियों को दूसरे गांवों में जाना पड़ता है अतः ग्राम में "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" खोला जाये। तथा नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करे। ANM की व्यवस्था भी की जावे।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलोक सुरजनितभावास स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार हेतु उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जावे।

बिजली

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-शेखोलाव व सुरजनिधावास के मुख्य स्थानों जैसे- विद्यालय, उपस्वास्थ्य केन्द्र मन्दिर काम गवाड खेल मैदान इत्यादि में हाइमास्क लाइटें लगाई जायें।

सिक्वेज

- ग्राम पंचायत के नीचे गांवों में सिक्वेज लाइन डालने का कार्य किया जावे।

पार्क व जिम सेंटर

- ग्राम पंचायत के ग्राम-शेखोलाव सुरजनिधावास व गगवाना के मुख्यालय पर एक-2 पार्क विकसित किया जावे उसमें युवाओं के लिए समन्वित जिम सेंटर भी स्थापित करें।

सड़कें

- ग्राम पंचायत- गगवाना के मुख्यालय जोड़ने हेतु ग्राम-शेखोलाव से गगवाना तक डामर सड़क का निर्माण करवावे। तथा नीचे गांवों के शांतिपों की कापस में जोड़ने वाले मार्गों का डामर सड़क या ग्रेवल सड़क का निर्माण करवावे। ग्राम पंचायत के नीचे गांवों के आबादी क्षेत्रों में कीचड़ कचल भराव की समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक व सीसी सड़कों का निर्माण

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गणवाना के नीचे गांवों के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावे ।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु फॉण्ट, ग्रीन हाऊस व बूंद-2 सिंचाई हेतु एक कास्तकार को कोषिकसे कोषिक हेक्टर पर अनुदान दिया जावे । राज्य सरकार के भारी कृषि पत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावे । फसलों के बचाव हेतु मेडवन्दी तारवन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को ^{जगली} सूँठने व जाकारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके । कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावे ।

गौशाला

- गौवंश व जाकारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में गौशाला के चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावे ।

(4)

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गणवाना के नीचे गांवों के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावे ।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु फॉण्ड, ग्रीन हाऊस व बुंद-2 सिंचाइय हेतु एक कास्तकार को कॉन्प्लेस कृषिक हेक्टेयर पर अनुदान दिया जावे / राज्य सरकार की भांति कृषि पत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावे । फसलों के बचाव हेतु मैडवनी तारबन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को ^{जगली} सूखने व जावारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके । कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावे ।

गौशाला

- गौवंश व जावारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के उत्प्रेषण ग्राम में गौशाला के चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावे ।

(5)

पानी

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम क्षेत्रीलाक व सुरजनिधावास की सरकारी ट्यूबवैल पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी है नई ट्यूबवैल खुदवाकर ग्रामजन व पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाए।

- गांवों में जहां-2 JLR नहीं है उन मोहल्लों में JLR का निर्माण करवाकर सरकारी ट्यूबवैल से जोड़ा जाए।

- पशुधन के लिए पानी पीने के लिए खलिपों का निर्माण किया जाए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण व पानी पीने का सबसे बड़ा स्रोत नालाक है नालाकों की सुद लेकर उनके चारों ओर दीवार व फटे का निर्माण करवाया जाए।

- ग्राम क्षेत्रीलाक व सुरजनिधावास के लिए नदरी पानी हनु बड़ी टंकी निर्माण करवाया जावे तथा उत्प्रेक दोनों गांवों की हाथियों को नदरी पानी से जोड़ा जाए।

महिला सशक्तिकरण हेतु

- ग्राम पंचायत गंगवाना के ग्राम-स्वतंत्रता व सुरजनिभावास में भांगनवाड़ी हेतु विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं उनके लिए प्रथक रूप से भवनों का निर्माण किया जावे।
- भांगनवाड़ी हेतु पर महिलाओं हेतु चिकित्सा सुविधा व सैन्यरीनेप की उपलब्ध करवावे (किशोरी बालिकाओं व महिलाओं)
- ग्राम गंगवाना के भांगनवाड़ी हेतु जो जरूरत है उसकी मरम्मत का कार्य करवाया जावे।

① सौर लाइट के लिए 3 किलो वार पर सरकार 78000 हजार रु पे दे रही है मैं अनुरोध करता हूँ जाम्बुजा काउन्सिल से कुछ साहायता राशि आय मिलाकर दि जाए इससे किसानों को सुविधा हो सके वे सौर ज्यादा-ज्यादा लगा पाएँ।

डिनेश
बापु
300108885

जयसिंह
(7442515121)
अनिल
(9929918442)

गणेशदास

जरेन्द्रसिंह
(9521419779)

* स्कूली बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कम्पनी में
करवाये

* आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जिन्होंने गण्ड से
उत्पाद अंक प्राप्त किए हैं उन्हें शिक्षा के बाद
एक वर्ष की कोचिंग कराने का पूरा पहलु करे

(8)

RO RSPCB
06/02/2026

8

OFFICE: - MAHATMA GANDHI GOVERNMENT SCHOOL, GAGWANA

BLOCK- NAGAUUR,

DISTRICT -NAGAUUR

Shaladarpan NIC ID:- 400048	U-Dise- 08140804604
<u>Dispatcher:-</u> PRINCIPAL Mahatma Gandhi Govt. School Gagwana (Nagaur)	<u>Consignee:-</u> Manager Ambuja Foundation Marwar Mundwa

S.N. :- MGGS/GAGWANA/2025-26/230

Date:-04-02-2026

Subject :- To provide fund for Make a new Water Tank (Tanka) / rooms and *sanitary napkin* **toilets for girls** and stage for cultural programs.

Sir,

It is our request to you to make/ build a new water tank (टांका) in school.

And Sir, there are insufficient rooms in our school for students to sit proper class wise. And **toilet for girls** is dilapidated.

So, It's our request to you to use CSR fund to make/repair for the same.
Our school, specially our students always will remain indebted to you.

2/02/26
प्रशासक
ग्राम पंचायत गगवाना
पंचायत समिति नागौर

Sumitra
PRINCIPAL
MGGS GAGWANA (NAGAUUR)
U-DISE - 08140804604

शिक्षा विभाग

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरासनी

पं.स. नागौर, जिला - नागौर (राज.)

प्रेषक :-

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरासनी

U-DISE CODE - 08140811902

SCHOOL NIC ID - 219877

RO RSPERS
06/02/2026

प्रेषिति

श्रीमान्

प्रबन्धक अम्बुजा सीमेंट
लिमिटेड

क्रमांक : रा.उ.मा.वि./सरासनी/25-26/780

दिनांक 05/02/2026

विषय :- विद्यालय विकास में योगदान हेतु मांग पत्र

इस विद्यालय में निम्नानुसार सामग्री एवं सहयोग की
अति आवश्यकता है :-

1. भोजनशाला
2. ब्लॉक इन्टर ब्लॉक
3. स्टेज हेतु यीन शोड
4. पार्किंग-व्यवस्था
5. बास्केट बाल ग्राउंड
6. चिल्ड्रन ग्राउंड प्ले ग्रुप
7. प्ले ग्रुप फर्निचर (कक्षा 1 से 5)
8. डिजीटल लाइब्रेरी मय फर्निचर
9. भूगोल एवं विज्ञान प्रयोगशाला
10. छात्राओं के लिए पृथक लॉयरेट, पैड वेडिंग मशीन मय इन्वीनरेटर


अध्यक्ष

सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
सरासनी (नागौर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सोमणा

पंचायत समिति, जायल (नागौर)

सरस्वती सोमड़वाल

सरपंच

ग्राम पंचायत, सोमणा



निवास :

श्री मांगीलाल सोमड़वाल, ग्राम - सोमणा,
तह. जायल, जिला - नागौर (राज.) 341022

मो. 9828763425, 9950929758

क्रमांक: 51

लिमिटेड कम्पनी

RO RSPUB

दिनांक 6/2/26

श्रीमान् -

अंबुजा सीमेन्स
ब्लॉक नंबर H.P.B 20
हरीमा, सरासनी एवं सोमणा

विषय - निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत सोमणा में
सार्वजनिक काम करवाने की बाबत -

- (1) सार्व. तालाब या मुख्य नाली गांव के दक्षिण में स्थित है जो कि पत्थर होने के कारण सुदार् कार्य।
- (2) हमारे गांव में ग्राम पंचायत कि जमीन में खेल मैदान करवाने की बाबत।
- (3) हमारे गांव में सार्वजनिक लाईबरी कोपरेटीव सोसायटी में पानी का होद।
- (4) सार्व. सामुदायिक भवन के पास पानी का होद एवं बाथरूम।
- (5) सार्व. रास्ते पर खुरा था सी. सी. निर्माण 2 या 3 रास्ते
- (6) सार्व. रास्ते पर लाईट लगाना।
- (7) गांव में पुसारीपण एवं सौदयीकरण किया जाना चाहिए।
- (8) खनन क्षेत्र एवं आस-पास के गांवों में वर्षा संचयन एवं जल संचयन एवं जल संरक्षण के कार्य कराए जाए।
- (9) भविष्य में जल प्रदूषण / कमी की स्थिति में कंपनी द्वारा स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि हमारी ग्राम पंच.

सोमणा में मैसर्स अंबुजा सीमेन्स लिमिटेड ब्लॉक नं. H.P.B. 20 आया हुआ है सार्वजनिक विकास कार्य करवाने की कृपा करें।

सरस्वती
(सरस्वती सोमड़वाल)

प्रशासक

ग्राम पंचायत सोमणा

RO RSPcB
06/04/2016

(1) श्रीमान प्रभारी आधिकारी
पर्यावरणीय जनसुनवाई, प्रशासन ब्लॉक, सरासनी (नागौर)
(2) श्रीमान क्षेत्रीय आधिकारी
जिला प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर।

विषय:- अम्बुजा सिमेन्ट के ब्लॉक PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज कराने बाबत (PSB-11, PSB-12)

मान्यवर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अम्बुजा सिमेन्ट के प्रस्तावित ब्लॉकों PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 (एच.पी.बी.20) से सम्बन्धित पर्यावरणीय लोक सुनवाई के सम्बन्ध में हमारी ओर से निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना की रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट द्वारा कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है जिसमें इन्होंने 10 किमी. की रेडियस में केवल 4 बड़ी तथा 2 छोटी नाडियाँ का जिक्र किया है जो पूर्णतः गलत है जबकि इस क्षेत्र में लगभग 15 बड़ी नाडियाँ, तालाब तथा 20 छोटी नाडियाँ मौजूद हैं, जिनका यहाँ खनन होने से बेहाव क्षेत्र 'पूर्णतया खत्म हो जायेगा।
2. उक्त रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट क. द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित वन्य जीवों का आँकड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तथा उनकी संख्या का खुलासा भी नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में "भारतीय मोर" बहुतायत संख्या में मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। भारतीय मोर को "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित करते हुए इसे उच्चतम सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मोर को मारना या नुकसान पहुँचाना या उसका जीवन संकटापल की परिस्थितियाँ पैदा करना कानूनन अपराध है जिसमें 7 वर्ष की सजा तक का प्रावधान है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है जिसकी सुरक्षा आवश्यक है।
3. उक्त क्षेत्र के पास पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम-हरिमा में स्थित है जिसमें अनुसूची-I के अन्तर्गत आने वाले वन्य जीवों की कई प्रजातियाँ संरक्षित हैं जो उक्त खनन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण

करती हैं तथा हजारों की संख्या में कई प्रजाति की वनस्पतों, पेड़ पौधों मौजूद हैं जिन पर उच्च प्रस्तावित खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण से संकट उत्पन्न होने का पूर्ण खतरा है।

4. अम्बुजा क. के उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खेजड़ी, केर, रोहिड़ा, खबूल तथा अन्य उपयोगी पौधे बहुतायत संख्या में मौजूद हैं। तथा खेजड़ी राजस्थान का राज्यवृक्ष है जिसे धार का 'कल्पवृक्ष' की संज्ञा दी गई है। इसके पत्ते (लूंग) पशुओं के चारे, फल (साँगरी) - सब्जी और पोषण के लिए, लकड़ी - ईंधन व धरेलु उपयोग के लिए और इसकी छाल व पत्तियाँ औषधीय उपयोग में आती हैं। तथा सरकार भी समय-समय पर 'खेजड़ी' को बचाने के लिए कार्यक्रम संचालित करती है तथा अभी बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए एक बड़ा जन-आंदोलन चल रहा है लेकिन यहाँ बहुतायत संख्या में मौजूद 'खेजड़ी' के पेड़ पर इसके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। इसी प्रकार का खतरा इस क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में पैदा ना हो इसके लिए इस जनसुनवाई के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में लिखित आश्वासन के रूप में दिया जावे।

5. उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र 547.55 हेक्टेयर में ले 72 हेक्टेयर चारणार तथा 230.87 (दो सौ) हेक्टेयर सरकारी भूमि प्रभावित हो रही है। इस भूमि पर इस क्षेत्र के निवासियों एवं प्रभावित व्यक्तियों का प्रथम धारणाधिकार है। गोचर-प्रारण भूमि संरक्षण हेतु राज्य में जैसलमेर तमोरराय से जयपुर तक पैदल यात्रा संघर्ष के रूप में जारी है। इस शान्ति क्षेत्र में उच्च भूमि का क्षरण कर जन भावना को अनावश्यक रूप से उत्तेजनामय न बनाया जावे इसलिए इस भूमि का उपयोग आधिकार सुरक्षित किया जावे जो प्रशासन द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत हो।

6. उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र में प्रचलित आम सुखाचार एवं करणी उपयोग उपभोग के सरकारी एवं गाँव रास्तों (गाँव से गाँव तक) का पूर्ण संरक्षण व सुरक्षा बहुत ही लाजमी है। इस सम्बन्ध में मात्र मौखिक आश्वासन तक सीमित रखा जा रहा है जिसे जनता के समक्ष लिखित रूप से संरक्षण व सुरक्षा का वचन दिया जावे।

7. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जनता को मुमराह करते हुए मात्र "पर्यावरण सुरक्षा" की जायेगी के शब्दों तक सीमित रखा जा रहा है। इसे आम जनता की भागीदारी के रूप में प्रशासनिक सहमति के रूप में

में भाग मानते हुए प्रस्तुत किया जावे।

8. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व एक क्षेत्रीय अनुमति अभियान / सहमति प्रभाव के रूप में आम जनता को समझाते हुए बिना दबाव, बिना प्रभाव बिना हस्तक्षेप के संपादित कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करावे। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।

9. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला प्रशासन की भागीदारी से संपादित की जा रही है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस जन सुनवाई बाबत सघन रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है इसलिए आगामी कार्यवाही जो भी संपादित की जायेगी इस सम्बन्ध में आम जनता को इससे अवगत करवाना सुनिश्चित किया जावे।

10. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन से उत्पन्न धूल मिट्टी को ढबाने एवं अन्य अन्तर्निहित व्यवस्था के लिए 150 किलोलीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता बताई गई है जबकि प्रस्तावित पर्यावरणीय अनुमति से सम्बन्धित क्षेत्र से 'डार्क जोन' प्रभावित क्षेत्र है। अम्बुजा क. के गत अनुभव यह बताते हैं कि पर्यावरणीय अनुमति के लिए मात्र इन्हीं अधिवाहन के रूप में प्रकट किया जा रहा है, धरातल पर पूर्णतः इसके विपरीत स्थिति है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन धरातलीय कार्यवाही बाबत प्रत्येक बार जनता को सूचित किया जावे।

अतः बिन्दुवार उपरोक्त आपतियाँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि इनके समाधान के पश्चात एवं समाधान हेतु की गई कार्यवाही से जनता को अवगत कराने के पश्चात ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

आदर।

मूल पाराम
ग्राम - सरासनी

Linesh,
सरासनी 982771931

विजयलक्ष्मी

(निर्देशक - चर)

ग्राम हरीमा

9460035154

Hemant Ram
9928150111

भवदीय

(अनिल वारुपाल)

Mo - 9414269973

डोमय मा 2) सरासनी

9982784044

मूत्रासनी
सरासनी

श्रीमान प्रभारी आधिकारी
पर्यावरणीय जनसुनवाई, प्रशासन ब्लॉक, सरासनी (नागौर)

(2) श्रीमान क्षेत्रीय आधिकारी

जिला प्रदूषण नियंत्रण मंडल

नागौर ।

Ro PSpCB
06/02/2016

विषय:- अम्बुजा सिमेन्ट के ब्लॉक PSB-01, PSB-02, PSB-06
PSB-07 तथा HPB-20 से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव
आंकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना के सम्बन्ध में
आपत्ति दर्ज कराने बाबत (PSB-11, PSB-12)

मान्यवर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अम्बुजा सिमेन्ट के प्रस्तावित ब्लॉक
PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 (एच.पी.बी.) से
सम्बन्धित पर्यावरणीय लोकसुनवाई के सम्बन्ध में हमारी ओर
से निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना की
रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट द्वारा कई तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश
किया है जिसमें इन्होंने 10 किमी. की रेडियस में केवल 4 बड़ी त
2 छोटी नाडियाँ का जिक्र किया है जो पूर्णतः गलत है जबकि इस
क्षेत्र में लगभग 15 बड़ी नाडियाँ तथा 20 छोटी नाडियाँ मौजूद
हैं, जिनका यहाँ खनन होने से बंहाव क्षेत्र 'पूर्णतया खत्म हो जायेगा'
2. उक्त रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट क. द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित
वन्य जीवों का आँकड़ा तोड़ मरोड़कर पेश किया है। तथा उनकी
संख्या का खुलासा भी नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में 'भारतीय
मोर' बहुतायत संख्या में मौजूद है जो इस क्षेत्र में स्वच्छंद और
स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। भारतीय मोर को 'वन्यजीव
संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित कर
हुए इसे उच्चतम सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मोर को
मारना या नुकसान पहुँचाना या उसका जीवन संकटापल की परि
स्थितियाँ पैदा करना कानूनन अपराध है जिसमें 7 वर्ष की सजा
का प्रावधान है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है जिसकी सुरक्षा आवश्यक
3. उक्त क्षेत्र के पास पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम-हरिमा में स्थित
है जिसमें अनुसूची-I के अन्तर्गत आने वाले वन्य जीवों की कई
प्रजातियाँ संरक्षित हैं जो उक्त खनन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण

करती हैं तथा हजारों की संख्या में कई प्रजाति की वनस्पतियाँ पेड़ों पाँधों मौजूद हैं जिन पर उच्च प्रस्तावित खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण से संकट उत्पन्न होने का पूर्ण खतरा है।

4. अम्बुजा क. के उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खेजड़ी, केर, रोहिड़, खबूल तथा अन्य उपयोगी पाँधे बहुतायत संख्या में मौजूद हैं। तथा खेजड़ी राजस्थान का राज्यवृक्ष है जिले धार का 'कल्पवृक्ष' की संज्ञा दी गई है। इसके पत्ते (लूंग) पशुओं के चारे, फल (साँगी) - सब्जी और पोषण के लिए, लकड़ी - ईंधन व धरेलु उपयोग के लिए और इसकी छाल व पत्तियाँ औषधीय उपयोग में आती हैं। तथा सरकार भी समय-समय पर 'खेजड़ी' को बचाने के लिए कार्यक्रम संचालित करती है तथा अभी बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए एक बड़ा जन-आंदोलन चल रहा है लेकिन यहाँ बहुतायत संख्या में मौजूद 'खेजड़ी' के पेड़ पर उसके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। इसी प्रकार का खतरा इस क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में पैदा ना हो इसके लिए इस जनसुनवाई के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में लिखित आश्वासन के रूप में दिया जावे।

5. उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र 547.55 हेक्टेयर में ले 72 हेक्टेयर-धारणा तथा 230.87 (दो लौ) हेक्टेयर सरकारी भूमि प्रभावित हो रही है। इस भूमि पर इस क्षेत्र के निवासियों एवं प्रभावित व्यक्तियों का प्रथम धारणाधिकार है। गोचर-ओरण भूमि संरक्षण हेतु राज्य में जसलमेर तमोरराय से जयपुर तक पैदल यात्रा संघर्ष के रूप में जारी है। इस शान्ति क्षेत्र में उच्च भूमि का क्षरण कर जन वाचना को अनावश्यक रूप से उत्तेजनामय न बनाया जावे इसलिए इस भूमि का उपयोग आधिकार सुरक्षित किया जावे जो प्रशासन द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत हो।

6. उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र में प्रचलित आम सुखाचार एवं करानी उपयोग के सरकारी एवं गाँव-गाँव (गाँव से गाँव तक) का पूर्ण संरक्षण व सुरक्षा बहुत ही लाजमी है। इस सम्बन्ध में मात्र मौखिक आश्वासन तक सीमित रखा जा रहा है जिले जनता के समक्ष लिखित रूप से संरक्षण व सुरक्षा का वचन दिया जावे।

7. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जनता को गुमराह करते हुए मात्र "पर्यावरण सुरक्षा" की जायगी के शब्दों तक सीमित रखा जा रहा है। इसे आम जनता की भागीदारी के रूप में प्रशासनिक सहमति के रूप

में भाग मानते हुए प्रस्तुत किया जावे।

8. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व एक क्षेत्रीय अनुमति अभियान / सहमति प्रभाव के रूप में आम जनता को समझाते हुए बिना दबाव, बिना प्रभाव बिना हस्तक्षेप के संपादित कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करावे। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।

9. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला प्रशासन की भागीदारी से संपादित की जा रही है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस जन सुनवाई बाबल सदन रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है इसलिए आगामी कार्यवाही जो भी संपादित की जायेगी उस सम्बन्ध में आम जनता को इससे अवगत करवाना सुनिश्चित किया जावे।

10. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन से उत्पन्न धूल मिट्टी को ढबाने एवं अन्य अनर्निहित व्यवस्था के लिए 150 किलोमीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता बताई गई है जबकि प्रस्तावित पर्यावरणीय अनुमति से सम्बन्धित क्षेत्र से 'डार्क जोन' प्रभावित क्षेत्र है। अम्बुजा क. के गल अनुभव यह बताते हैं कि पर्यावरणीय अनुमति के लिए माज इसे अग्रवालन के रूप में प्रकट किया जा रहा है, धरतल पर पूर्णतः इसके विपरीत स्थिति है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन धरतली कार्यवाही बाबत प्रत्येक बार जनता को सूचित किया जावे।

अतः बिन्दुवार उपरोक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि इनके समाधान के पश्चात एवं समाधान हेतु की गई कार्यवाही से जनता को अवगत कराने के पश्चात ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

सादर।

भवदीय

प्रवलाचनाथ हरीमा

विष्णुमती मा।

अनिल बाबुपाल

MO - 9414269973

Dinesh
मालवी
9521771931

9226
(नि.के.स.स.)

ग्राह हरीमा

9460035154

द्वारा अम्बुजा

9079864778

अशोक रावत

8949154557

अमरनाथ

9382785844
साहानी

मन्दीरा

पेमाशान

अम्बुजा

सेवा
RO RSPCB
66/02/2018

श्रीमान पर्यारण. वन एवं परिवहन जलवायु मंत्रालय, नया दिल्ली (दिल्ली)
श्रीमान एस्टीमेटिंग एंड आर्किटेक्चर नजीब-
श्रीमान इन्फ्रस्ट्रक्चर एंड सिविल कामें

विषय:-

इन्फ्रस्ट्रक्चर एंड सिविल की पर्यारण की स्वीकृति की जागरूकता के अंग हीमा के विकास व पर्यारण सुधार कार्य के विषय बाबत-

महोदयजी,

दुर्भाग्यवश हमें निवेदन है कि हमारे गाँव क्षेत्र में इन्फ्रस्ट्रक्चर एंड सिविल कार्य के अभाव में विकास कार्य व पर्यारण सुधार कार्य अभाव में गाँव के विकास में आर्किटेक्चर विभाग आपका इलाका होगा।

- 1) गाँव के उपाड़ का सर्वेक्षण करवाये।
- 2) गाँव के मुख्य रास्ते पर सीमेंट रोड़ बनवाये।
- 3) गाँव के आम रास्तों पर एसी के का निर्माण कराये।
- 4) गाँव में जोड़ पानी की निकासी की विवेकपूर्ण से व्यवस्था करवाये।
- 5) गाँव में नाली (पिछर) की गोलाकार सुधार व पक्का जला करवाये।
- 6) गाँव में टुला बड़ा होकर की रिपेयरिंग करवाकर आसपास के गाँवों के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाये।
- 7) गाँव के स्कूल की सम्पूर्ण रिपेयरिंग करवाये।
- 8) गाँव के उपाड़ में राहगीरों व गाँवियों के लिए पेयजल के लिए ट्यांरु बनवाये।
- 9) गाँव में खिच मंदिर की रिपेयरिंग व अंगों का मरम्मत बनवाये।
- 10) गाँव में उपरवायु के डब बनवाये (एलपीएल)
- 11) गाँव के नाथ समाज समाधी स्थल (ग्राम) समूह नं. - 134 की बाइडरी का निर्माण करवाये।
- 12) गाँव के नाथ समाज समाधी स्थल पर काराकद। 15x25 फुट व पानी का होय बनवाये।
- 13) गाँव में नाली के आसपास पर इन्फ्रस्ट्रक्चर कार्य करके पक्के पीछे लगावाये।
- 14) गाँव के युवा बेरोजगारों को आयोजित रोजगार डपल बना करवाये।
- 15) गाँव में सड़क डब बनाये लगावाये (10-15)
- 16) गाँव में सुको युवाओं को अम्बुजा का डेस्कटॉप कंटेनर डबों में बनाये का करवाये।

RO RSPCB

06/02/2026

Date

किरपा कि दावियों के पोस्ट

1. किरपा कि दावियों के तुरी निर्माण
2. रोड बाडर
3. स्कूल कि काकड़ी और पेड़ पौधा और निर्माण
4. पानी कि व्यवस्था पीने और इस्तेमाल
5. लगवान भूमि पर मोझ धाप के निर्माण

07 जनरल बारक
 गुलाबगढ़ Capt. Megha ka



Latitude: 27.264969
 Longitude: 73.919289
 Elevation: 302.78±4.45 m
 Accuracy: 4.057 m
 Time: 03-02-2026 12:50
 Note: v

Powered by NoteCase



Latitude: 27.264867
 Longitude: 73.92008
 Elevation: 305.57±8.8 m
 Accuracy: 6.441 m
 Time: 03-02-2026 12:39
 Note: v

Powered by NoteCam



Latitude: 27.266027
 Longitude: 73.918632
 Elevation: 304.69±5.52 m
 Accuracy: 118.1 m
 Time: 03-02-2026 12:28
 Note: v

Powered by NoteCam



Latitude: 27.265342
 Longitude: 73.918668
 Elevation: 307.08±7.74 m
 Accuracy: 122.8 m
 Time: 03-02-2026 12:22
 Note: v



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 द्वारा
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
 की
 प्रस्तावित पी.एस.बी. 12 चूनापत्थर ब्लॉक (ऑक्शन ब्लॉक)
 (क्षेत्रफल: 4.8062 हेक्टेयर)
 चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 0.125775 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना
 स्थित
 गाँव: सरासनी, तहसील: नागौर, जिला: नागौर, राजस्थान
 की
 निर्माण के लिए आवेदन पत्र परमाणु संख्या 14/2026 पर अग्रिम दृष्टि को प्राप्त करने के लिए
 पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु शोकावधि कार्य में आपका हार्दिक स्वागत करता है
 दिनांक: 03 फरवरी 2026
 समय: 12:22

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 द्वारा
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
 की
 प्रस्तावित पी.एस.बी. 11 चूनापत्थर ब्लॉक (ऑक्शन ब्लॉक)
 (क्षेत्रफल: 4.8044 हेक्टेयर)
 चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 0.125730 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना
 स्थित
 गाँव: सरासनी, तहसील: नागौर, जिला: नागौर, राजस्थान
 की
 निर्माण के लिए आवेदन पत्र परमाणु संख्या 14/2026 पर अग्रिम दृष्टि को प्राप्त करने के लिए
 पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु शोकावधि कार्य में आपका हार्दिक स्वागत करता है
 दिनांक: 03 फरवरी 2026
 समय: 12:22













